

वन विभाग-----डिवीजन

वन विभाग-----डिवीजन

पट्टा काश्तकारी इलाका मिल्कियत सरकारी बाबत् सन्.....फसली

काश्तकारी इलाका मिल्कियत सरकारी बाबत् सन्.....फसली

नाम गांव	नाम जिसको पट्टा दिया गया	नाम जिसकी तरफ पट्टा दिया गया	तादाद रकबा मुनदर्जा जरीबी		तादाद सामान सालाना		कैफियत	गांव का नाम तथा परगना	नाम कबूलियत लिखने वाले का	नाम जिसके पास कबूलियत लिखी	तादाद रकबा मुनदर्जा कबूलियत जरीबी		तादाद लगान सालाना		कैफियत
			खेत का नम्बर	रकबा	लगान दर	सालाना तादाद					खेत का नम्बर	रकबा	लगान दर	सालाना तादाद	
दस्तखत पटवारी							यह जमीन जोतने-बोने आदि के वास्ते तुमको सन्.....फसली एक साल के वास्ते दी जाती है, चाहिये कि अच्छी तरह इसकी जोत वगैरह करो और लगान का रुपया बिला किसी हीला हवाला व परेशानी नियत समय पर अदा करते रहो तुमसे हक जमीन्दारी में बरी, भूसा, झांकर, लकड़ी, पयाल, रस, गन्ना आदि लिया जाया करेगा, फसल के खाली हो जाने के बाद जब तक दूसरा पट्टा न दिया जाये जमीन जोतने का अधिकार न होगा और जमीन्दार को लगान घटाने-बढ़ाने व बेदखली का अधिकार रहेगा और तुम बिना स्टाम्प के जमीन दूसरे को शिकमी नहीं दे सकते हो। तारीख.....माह.....सन्.....197 ई0								यह आराजी जोतने और बोने के वास्ते एक साल की मियाद सन्.....फसली लेकर इकरार करता हूं कि पूरी तरह से जोत-बोकर बिला किसी हीला हवाला और परेशानी के नियत समय पर लगान अदा करता रहूंगा और हक जमींदारी में बरी, भूसा, झांकर, लकड़ी, पयाल, रस, गन्ना आदि बिला उज्र देता रहूंगा और पट्टेदार से बिला दूसरा पट्टा लिए जमीन को न जोतूंगा, नम्बरदार की कमी व बेसी लगान और बेदखली का अधिकार है। अगर मैं शर्त के खिलाफ बिला इजाजत बिला तय काश्त करूं तो अख्तियार है कि सब कायदा से वसूल कर ले, मुझे कोई उज्र न होगा और बिना स्टाम्प लिखे हुए अपनी जमीन किसी शिकमी काश्तकार को न दूंगा।
							हाकिम के हस्ताक्षर								हस्ताक्षर _____
															तारीख _____ 197 ई0